

प्रेस-विज्ञप्तिअपराधिक माफिया कुन्टु सिंह के दो और मुख्तार अंसारी के एक सहयोगियों पर हुयी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही

दिनांक- 07.06.2022 को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 122/20 धारा 386/504/506/507 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राजीव रंजन तिवारी उर्फ राजू पुत्र स्व0 महेन्द्र तिवारी निवासी खरारस्तीपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ व 2. मनीष तिवारी पुत्र जनार्दन तिवारी निवासी खरारस्तीपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ तथा थाना तरवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 20/14 धारा 147/148/149/302/307/506/120बी भादवि व 07 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. हरिकेश यादव पुत्र फूलचन्द्र यादव साकिन मोहासिल थाना जहानागंज, आजमगढ़ के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी है। तीनों अभियुक्त दुस्साहिस किस्म के व्यक्ति है, जिनका आम जनता में काफी भय व आतंक बना हुआ है, आम जनता के मध्य स्वतंत्र रहना जनहित व न्यायहित में उचित नहीं है उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के कुकृत्यों पर पाबन्द लगाये जाने हेतु धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नि0अधि0 की कार्यवाही की गयी।

प्रेस-विज्ञप्तिजनपद के विभिन्न थानों से कुल 20 वांछित/वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक- 07/08.06.2022 को समय 23.00 बजे से 02.00 am बजे तक जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कुल 20 वांछित/वारण्टी गिरफ्तार किये गये है। जिसमें 04 थानों से 08 वांछित (थाना- मुबारकपुर से 03, थाना बरदह से 03, थाना जहानागंज से 01 व थाना कसानगंज से 01 वांछित) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 08 थानों से 12 वारण्टी (सिधारी से 03, मेंहनगर से 02, सरायमीर से 02, निजमाबाद से 01, देवगांव से 01, जीयनपुर से 01, अहरौला से 01 व पवई से 01) गिरफ्तार किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दिनांक- 27.05.2022 से दिनांक- 31.05.2022 तक आगरा पुलिस लाईन में उ0प्र0 जोन स्तरीय हैण्डबॉल खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गयी जिसमें वाराणसी जोन की टीम लीग मैच, क्वाटर फाइनल मैच में विजय प्राप्त करते हुए, पी0ए0सी0 पूर्वी जोन की टीम से सेमीफाइनल मैच खेलकर तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आज दिनांक- 08.06.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 05 खिलाड़ियों (1. आरक्षी गोविंद कुमार निषाद कैप्टन/ प्रशिक्षण 2.मुख्य आरक्षी एजाज अहमद 3.मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार 4. मुख्य आरक्षी सुरेश यादव 5. आरक्षी सनी सिंह) को सम्मानित करते हुए, उनकी प्रशंसा की गयी एवं पाँचों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में खेलकूद प्रतियोगिता में और अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित किया गया।

थाना-तरवां

किशोरी को साथ दुराचार करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण (वादी) थाना तरवां जनपद आजमगढ़ मो0न0 7080167757 बहमराह खुद की पुत्री (पीड़िता) उम्र 15 वर्ष एवं खुद की पत्नी के साथ थाना थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि दिनांक- 06.06.2022 अजय चौहान पुत्र गुड्डू चौहान ग्राम जगदीशपुर थाना तरवां द्वारा शादी का झासा देकर 08 माह से शारीरिक सम्बन्ध बनाने जिससे गर्भवती हो जाने पर शादी करने से मना करने एवं भद्दी भद्दी गालिया व अबाँर्शन न कराने पर जान से मारने की धमकी देने एवं पीड़िता द्वारा इस बात की शिकायत अभियुक्त अजय चौहान के पिता गुड्डू चौहान व माता किरन से करने पर इन लोगो द्वारा भद्दी भद्दी गाली देने व जान मारने की धमकी दिया गया के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 143/2022 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 1. अजय चौहान पुत्र गुड्डू चौहान 2. (पिता) गुड्डू चौहान पुत्र अज्ञात 3. (माता) किरन पत्नी गुड्डू चौहान निवासीगण जगदीशपुर (बेलहाडीह) थाना तरवां जनपद आजमगढ़ विवेचक थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था ।

दिनांक 08.06.2022 को थानाध्यक्ष तरवां मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय चौहान पुत्र गुड्डू चौहान निवासी जगदीशपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को आज खरिहानी चौराहे से समय करीब 8.50 बजे थानाध्यक्ष तरवां(अनिल कुमार सिंह) मय हमराह द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 143/2022 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना तरवां आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अजय चौहान पुत्र गुड्डू चौहान निवासी जगदीशपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थानाध्यक्ष तरवां (अनिल कुमार सिंह) ,का0 सुनील पाल ,का0 गुलशेर अली थाना तरवा जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

दुकान में चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी किये गये नकदी बरामद।

श्री सत्यपाल पुत्र झुरी यादव ग्राम चंदई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ अपने साथ गिरफ्तार शुदा एक नफर अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र धुरी लाल निवासी गभेल थाना अल्लापुर जनपद बदायूं मय अभियुक्त के कब्जे से बरामद शुदा 2100 रूपये के साथ थाने उपस्थित आये और बताये कि ताड़ी स्थित मेरी देशी शराब की दुकान में रात्रि में घुसकर गल्ला में रखा 14000 रूपये चुरा ले जाने सुबह सीसीटीवी फूटेज देखने व पहचानने के बाद ग्राम निजामुद्दीनपुर गाँव से राजेन्द्र सिंह उपरोक्त को पकड़ लिए जाने व दूसरा साथी रोहित मौके से भाग जाना बताये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 237/22 धारा 380/411 भादवि बनाम अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र धुरी लाल निवासी गभेल थाना अल्लापुर जनपद बदायूं 2. रोहित पुत्र शुग्गा निवासी निन्दीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया ।

दिनांक- 08.06.2022 को उ0नि0 विकाश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 237/22 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र धुरी लाल निवासी गभेल थाना अल्लापुर जनपद बदायूं को अभियुक्त की गिरफ्तारी सुबह समय 8.15 एएम पर दूसरा अभियुक्त रोहित उपरोक्त के घर ग्राम निन्दीपुर से की गयी । गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 237/22 धारा 380/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र धुरी लाल निवासी गभेल थाना अल्लापुर जनपद बदायूं उम्र 25 वर्ष गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1-30नि0 विकाशचन्द्र पाण्डेय का0 विनय कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

मार पीट के मुकदमे मे वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना- दिनांक 07.06.2022 समय सुबह 05.30 बजे ग्राम अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ मे दो पक्षों मे जमीनी मे मट्टी डालकर पाटने की बात को लेकर मारपीट की घटना कारित हो गयी जिसमे दोनो पक्षों को चोट आयी है उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर उभय पक्षों द्वारा क्रमशः मु0अ0सं0 164/2022 धारा 308/323/504/506 भादवि बनाम भोला चौहान पुत्र जिऊत चौहान आदि 04 नफर अभियुक्त व मु0अ0सं0 167/2022 धारा 308/323/504/506 भादवि बनाम करन चौहान पुत्र कन्हैया चौहान आदि 04 नफर अभियुक्त पंजीकृत हुआ है। जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी सठियांव उ0नि0 श्री अनुज कुमार पाण्डेय द्वारा की जा रही है।

दिनांक 08.06.2022 को उ0नि0 श्री अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह के मु0अ0सं0 164/2022 धारा 308/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता झिनकी देवी पत्नी भोला चौहान व अर्चना पुत्री भोला चौहान निवासिनी ग्राम अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम अबाड़ी से समय करीब 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया पुनः वही से मु0अ0सं0 167/2022 धारा 308/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त करन चौहान उर्फ कंचन पुत्र कन्हैया चौहान साकिन अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम अबाड़ी से समय करीब 09.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर ही अभियुक्तगण के परिजनो की दी गयी।

गिरफ्तारी का स्थान:- ग्राम अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ समय क्रमशः 09.40 व 09.55 बजे पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 164/2022 धारा 308/323/504/506 भादवि बनाम भोला चौहान पुत्र जिऊत चौहान आदि 04 नफर अभियुक्त मु0अ0सं0 167/2022 धारा 308/323/504/506 भादवि बनाम करन चौहान उर्फ कंचन पुत्र कन्हैया चौहान आदि 04 नफर अभियुक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1.उ0नि0 श्री अनुज कुमार पाण्डेय , हे0का0 श्रीनाथ गौड़, महिला आरक्षी रोशनी सिंह, महिला आरक्षी वन्दना सरोज थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 मोटरसाइकिल बरामदा

दिनांक- 08.06.2022 को थानाध्यक्ष संजय कुमार मय हमराही द्वारा चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 171/2022 धारा 411/467/468/471/420 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त अजय यादव पुत्र पारस नाथ यादव ग्राम देवारा तुर्कचारा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को 01 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 171/2022 धारा 411/467/468/471/420 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- -

मु0अ0सं0 121/2021 धारा 147/149/308/323/504/506 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय यादव पुत्र पारस नाथ यादव ग्राम देवारा तुरकचारा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद मोटर साईकिल चेचिस नम्बर MBLHA10AWCGL05300 व इंजन नम्बर HA10ENCGL04917 है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. SO संजय कुमार का0 अरविन्द कश्यप का0 प्रमोद कुमार थाना कप्तानगंज आजमगढ़ ।

थाना सरायमीर

थाने का जिला बदर अभियुक्त एक अदद नाजायज तमंचा, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार

दिनांक 07.06.2022 को कौरागहनी नहर पुलिया के पास से एक नफर जिला बदर अभियुक्त को एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 22.45 बजे गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 112/2022 धारा 10 गुण्डा अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 0112/2022 धारा 10 गुण्डा अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 188/2019 धारा 147/308/323/504/506 व 3(1)घ,3(1)ध,3(2)va SC/ST Act थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 214/15 धारा 3/5A/8 गौवध व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दिलशाद पुत्र पप्पु उर्फ इरसाद निवासी कौरागहनी कंकाली बस्ती थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
2. हे0का0 नफीस अहमद सिद्दीकी थाना सरायमीर आजमगढ़
3. हे0का0 अनिल कुमार सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़
4. का0 मिथुन प्रसाद थाना सरायमीर आजमगढ़
5. का0 का0 प्रणय कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़